

रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ

OA(IIu)/PNBE/218/2020

Mahadeo Tanti (APPLICANT/s)

बनाम (VERSUS)

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (RESPONDENT/S)

दिनांक / Date	आदेश / Order	अभियुक्ति / Remarks
20.08.24	याची के अधिवक्ता : श्री अरविन्द कुमार, उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता : श्री राधिका रमण, उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में याची महादेव तांती के अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि याची महादेव तांती, जिसका साक्ष्य न्यायाधिकरण में संभव नहीं हो पाया था कि मृत्यु हो गयी है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से इस वाद को इसी स्तर पर साक्ष्यहीन मानते हुए खारिज किया जाता है। वाद को दाखिल दफ्तर किया जाता है।  20-08-2024 सदस्य (तक.) रेल दावा अधिकरण/पटना	